न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :–29/2025

प्रार्थीः–

गोपालसिंह पुत्र जयसिंह जाति राजपुत निवासी खण्डप तहसील समदडी जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीः–

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदडी जिला बालोतरा
2. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा खण्डप तहसील समदडी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरूस्ती

उपस्थित :–

श्री गणपतसिंह व ललित जांगिड अधिवक्ता प्रार्थी

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 14.01.2026

प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्र रा.भू.रा.अ. की धारा 136 के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 1326 व 1778/1327 रकबा क्रमशः 0.0759 व 16.1242 हैक्टेयर भूमि ग्राम गोलिया चौधरीयान तहसील समदडी में अवस्थित है उक्त भूमियों में प्रार्थी का नाम ''गोपसिंह पुत्र जयसिंह'' दर्ज कर दिया, जबकि प्रार्थी के समस्त सरकारी व गैर सरकारी दस्तावेजात यथा राशन कार्ड, आधार कार्ड व जनआधार कार्ड व बैक डायरी में प्रार्थी का वास्तविक नाम ''गोपालसिंह पुत्र जयसिंह'' दर्ज है इस प्रकार प्रार्थी का नाम का अशुद्ध अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर ज[illegible] विप्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार समदडी द्वारा प्रार्थी के वास्तविक [illegible] के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्रार्थी ने अपने आवेदन पत्र के [illegible]थन में राशन कार्ड, आधार कार्ड व जनआधार कार्ड व बैक डायरी आदि प्रस्तुत किये ।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.04.09 17:38:22 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम ''गोपालसिंह पुत्र जयसिंह'' है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि खसरा संख्या 1326 व 1778/1327 रकबा क्रमशः 0.0759 व 16.1242 हैक्टेयर भूमि ग्राम गोलिया चौधरीयान तहसील समदडी में प्रार्थी का नाम ''गोपसिंह पुत्र जयसिंह' ' त्रुटिवश लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार समदडी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के राशन कार्ड, आधार कार्ड व जनआधार कार्ड व बैक डायरी आदि दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम ''गोपालसिंह पुत्र जयसिंह'' दर्ज है, किन्तु विवादित भूमियों में प्रार्थी का नाम ''गोपसिंह पुत्र जयसिंह'' करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। तहसीलदार समदडी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से भी प्रार्थी का वास्तविक नाम ''गोपालसिंह पुत्र जयसिंह'' होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 1326 व 1778/1327 रकबा क्रमशः 0.0759 व 16.1242 हैक्टेयर भूमि ग्राम गोलिया चौधरीयान तहसील समदडी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम ''गोपसिंह पुत्र जयसिंह''के स्थान पर ''गोपालसिंह उर्फ गोपसिंह पुत्र जयसिंह'' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार समदडी को तद्नुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.04.09 17:38:22 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 14.01.2026 को [illegible] सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)